समावेशी शिक्षा के लिए व्यवसायियों का विकास*

भारती**

पिछले दशकों से 'समावेशी शिक्षा की ओर' विश्वव्यापी आंदोलन, सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चल रहा है, ताकि सभी बच्चे शैक्षिक, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक पहुँच सकें। हालाँकि, इनमें से बहुत-से बच्चे भिन्न कारणों जैसे कि अधिगम अक्षमता और व्यवहारिक समस्याओं इत्यादि के कारण अपनी क्षमता से कम स्तर तक ही पहुँच पाते हैं। बहुत से देशों ने अपने कानूनों में अनुकूलन किया है, ताकि भिन्न आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा को ज़्यादा समावेशी बनाया जा सके, लेकिन व्यवहारिक अभ्यासए नीतियों की तुलना में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। छात्रों की आवश्यकताओं और उपलब्धता स्तरों की विविधताओं की देखभाल/पूर्ति में शिक्षकों को कठिनाई आ रही है। अधिगम अवरोध अनुभव करने वाले बच्चों के सबसे बड़े समूह में अक्सर 'अदृश्य अक्षमता' होती है। उनमें 'पहचानी न गई' अधिगम अक्षमता हो सकती है अथवा अक्सर व्यवहारिक चुनौती उपस्थित होती है अथवा ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो सकती है। उनकी उपलब्धि या तो अक्सर अल्प होती है या फिर वह शैक्षिक व्यवस्था से ही बाहर चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षकों में इन बच्चों के अनुरूप उचित व्यवहार एवं अभ्यास देने के कौशल और प्रशिक्षण का अक्सर अभाव होता है, इसके फलस्वरूप, बहुत-से ऐसे बच्चे जिनमें अधिगम अक्षमताएँ अथवा चुनौतीपूर्ण व्यवहार होता है, वे कक्षा-कक्ष व्यवहारों से अधिकाँशतः लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।

विविधता एक ऐसी विशेषता है 'जो सभी बच्चों और युवाओं में समान रूप से होती है' प्रत्येक व्यक्ति में आंतरिक और व्यक्तियों के आपसी तुलनात्मक रूप, दोनों ही तरह से।

विविधता में एक शक्ति है क्योंकि विविधता की अवधारणा में स्वीकृति और आदर दोनों ही सम्मिलित हैं। यानि कि प्रत्येक व्यक्ति अतुलनीय है और व्यक्तियों में भिन्नताएँ होती हैं। इसलिए यह उन सभी की ज़िम्मेदारी हो जाती है जो पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षकों को उनकी शिक्षण क्षमता में सहायता करते हैं, कि वह विश्वास रखें कि सभी सीख सकते हैं और सभी को सीखने का अधिकार है।

---

* प्रस्तुत लेख 'Professional Development For Inclusive Education' नामक लेख (Published in *Navtika,* Vol.IV, No. 4, Nov. 2013- January, 2014) का अनुवाद है।

** *अनुवादक एवं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* डीईजीएसएन, एनसीईआरटी, नयी दिल्ली

विविधता को स्वीकारना

समावेशी शिक्षा विविधता की पूर्ति में मदद करती है। यह केवल अक्षमता वाले बच्चों और युवाओं अथवा विशेष विद्यालयों का विकल्प खोजने तक ही सीमित नहीं है। भाषायी और क्षेत्रीय अल्पसंख्यक समुदायों, गरीबी अथवा दुर्गम गाँवों में रहने वाले बच्चे विद्यालय की पढ़ाई को बेहद कठिन पाते हैं। इन बच्चों को शायद पाठ्यचर्या अरुचिपूर्ण और शिक्षक निरुत्साहित करने वाले लगते होंगे, अथवा विद्यालयी संस्कृति परग्रही अथवा अनुदेशन की भाषा पहुँच से बाहर अथवा बहुत से अवरोध महसूस होते होंगे। समावेशी प्रणाली इन अवरोधों को समझने और ऐसे विद्यालय विकसित करने की कोशिश है, जो इन अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो।

समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा को सुधारने के बारे में नहीं है, और न ही समावेशी विद्यालय वह विद्यालय मात्र है जो अक्षमता वाले कुछ बच्चों को शिक्षित करता है। समावेशी शिक्षा तो सभी तरह के अधिगम अवरोधों को कम करने और सामान्य शालाओं का ऐसा विकास चाहती है जिसमें सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

सामंजस्यता की आवश्यकता और विविधता को स्वीकार करने की समझ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार और उस राष्ट्रीय मुख्य बिंदु पर आधारित है, जिस पर हाल ही के शिक्षा के अधिकार कानून-2009 में ज़ोर दिया गया है, उसे समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन में लगे समस्त कार्याधिकारियों के साथ साझा करने की ज़रूरत है।

शिक्षा का अधिकार कानून-2009, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, के अनुसार अक्षमता वाले बच्चे वे बच्चे हैं जो अक्षमता वाले बच्चों और व्यक्तियों के दो मुख्य कानूनों के अंतर्गत आते हैं, ये कानून हैं-अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकार की सुरक्षा और संपूर्ण भागीदारी कानून-1995 और बहु अक्षमताओं, मानसिक मंदता, सेरेब्रेल पालसी और स्वाधीनता वाले व्यक्तियों की भलाई के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट कानून-1999

इन दोनों ही कानूनों में अभी सुधार हो रहा है और इसलिए अभी इनमें अन्य तरह की अक्षमताओं के समावेशन का अवसर है। यह वाकई एक अग्रगामी कदम है।

> हमारे समाज में हमारी विद्यालयी व्यवस्था वह केंद्रीय स्थान है, जहाँ सभी पृष्ठभूमियों से आने वाले व्यक्ति साथ रहना सीखते हैं। समावेशन, व्यवहारिक, शारीरिक अथवा अधिगम दोष वाले उन कुछ बच्चों के बारे में नहीं है जिन्हें मुख्यधारा विद्यालयों में रखा जा रहा है। यह ऐसे समाज निर्माण के बारे में है' जहाँ सभी लोग अपना अनुपम स्थान पा सकें और सभी को लाभ पहुँचाने हेतु एक साथ काम कर सकें। यदि यह काम विद्यालय में शुरू नहीं हो सकता तो समाज के रूप में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। चुनौती भिन्नताओं को हटाने में नहीं है बल्कि भिन्नताओं को यथावत् रखकर, उनके साथ एक हो जाने में है। – *रवींद्रनाथ टैगोर*

अक्षमता वाले बच्चों के अलाभान्वित समूहों वाली श्रेणी में, स्पष्ट समावेशन से कानूनी तौर पर शिक्षा के अधिकार कानून की सभी धाराएँ, विशेषकर गैर-भेदभाव वाली सशक्त धारा, अक्षमताओं वाले बच्चों पर भी लागू होंगी। अब ये बच्चे 25 प्रतिशत की उस श्रेणी में आ जाएँगे, जिन्हें निजी विद्यालयों को दाखिला देना ही होगा। इसके अतिरिक्त अक्षमता वाले बालकों के पालकों को अब शाला प्रबंध समीतियों में शामिल करना ही होगा। उम्मीद है कि इस स्वागत योग्य कदम का विद्यालय विकास योजना पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इन बदलावों से 'सभी के लिए शिक्षा' की प्रतिबद्धता को शक्ति मिलेगी। सही भावना से लागू किये जाने पर यह मुख्य धारा विद्यालय व्यवस्था में अक्षमता वाले बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण लाभ दे सकते हैं।

पिछले प्रयोगों से आगे बढ़ना

अन्य देशों की ही तरह, ऐतिहासिक रूप से भारत में भी विशेष शिक्षा और एकीकृत शिक्षा के लिए कदम उठाये गये, जो कि समावेशी व्यवहारों की ओर बढ़ते वर्तमान मुख्य बिंदु (focus) से पहले की बात है। भूतकाल का विश्लेषण इशारा करता है कि विशेष शिक्षकों की भूमिका, विद्यालायों में अक्षमता वाले शिक्षार्थियों/अधिगमकर्ताओं को स्वीकारे जाने और उनके सामंजस्य के समानांतर ही रही है। शुरुआत में बहुत-से विशेष शिक्षा शिक्षकों को सामान्य विद्यालयों का भाग नहीं माना जाता था। उनके बच्चों की ही तरह उन्हें भी सामान्य शिक्षा से अलग रखा जाता था। अलगाव के आधार थे–वे कहाँ पढ़ाते हैं (अक्सर विशेष विद्यालयों अथवा विद्यालय के अंदर विशेष क्षेत्र), वे क्या पढ़ाते हैं (अलग और भिन्न पाठ्यचर्या) और वह कैसे पढ़ाते हैं (ऐसी विशेष तकनीकों और व्यवहारों द्वारा जिनका प्रयोग सामान्य शिक्षा शिक्षक नहीं करते हैं)। सामान्य और विशेष शिक्षा शिक्षकों के मध्य भी उतनी ही गहरी सीमा रेखाएँ खिंची थीं जितनी कि सामान्य और विशेष शिक्षा वाले बालकों के बीच थीं। बहुत से सामान्य शिक्षा शिक्षक, प्रशासक और बच्चों के अभिभावक संतुष्ट थे कि कुछ चुने हुए शिक्षक अक्षमता वाले बच्चों की 'सेवा' करने के लिए तैयार हैं और कर सकते हैं। हालाँकि, अलगाव के बावजूद भी विशेष शिक्षा ने सामान्य शिक्षा को बहुत कुछ सिखाया है। उदाहरण के लिए, इसका मुख्य बिंदु है छात्रों की आवश्यकतानुसार शिक्षण को ढालना एवं उसमें परिवर्तन, निदानात्मक आकलन का उपयोग, अपने बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भागीदारी और ऐसा ही बहुत कुछ जो शिक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। मूल रूप से विशेष शिक्षा में विकसित बहुत-सी विधियों को लेकर उनका अनुकूलन उन बहुसंख्य छात्रों को लाभ पहुँचाने हेतु किया गया है जो विशेष शिक्षा कार्य क्षेत्र में नहीं आते। समावेशी शिक्षा की ओर अग्रसर वर्तमान पहल की आवश्यकता है, स्पष्ट रूप से परिभाषित सिद्धांतों पर आधारित गतिशील व्यवस्था की प्रक्रिया। प्रचलित मुहावरों में भी जेंडर भेद हैं।

- 'औरतों के साथ पुरुष कभी विकास नहीं कर सकते' (तज़ाकिस्तान, रशिया);
- 'लड़का सोना है, लड़की सूत है' (कंबोडिया);
- 'औरतों के बाल लंबे और दिमाग छोटा होता है' (मंगोलिया);

- 'हाथी के अग्रपाद आदमी हैं जबकि पृष्ठपाद औरते हैं।' (थाईलैंड)
- 'खाने के समय प्रिय पतिदेव को पेट भरने तक खाने दो, पत्नी को बाद में खाने के लिए इंतज़ार करना आवश्यक है (लाओस);
- 'एक बेटा बच्चे हैं, दो बेटियाँ कुछ भी नहीं' (वियतनाम);
- 'एक बेटी को पालना और उसकी देखभाल करना वैसा ही है जैसा किसी और के बगीचे की देखभाल करना' (नेपाल);
- 'जब एक लड़की पैदा होती है तो धरती एक फ़ुट सिकुड़ जाती है। जब लड़का पैदा होता है तो उसका स्वागत करने के लिए धरती एक फ़ुट ऊपर उठती है' (नेपाल)।

शिक्षकों का व्यवसायिक विकास

बदलाव की संपूर्ण व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है व्यवसायिक विकास, क्योंकि सामान्य विद्यालय शिक्षकों और प्रशासकों दोनों ही के सामने नयी मुख्य चुनौतियाँ हैं कि वह वृहद् विविधताओं और विशेष शिक्षकों को जवाब दें जो अपने कार्य परिवेश और उसके केंद्र बिंदु को बहुत बड़े तरीके से बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं।

एक शोध के अनुसार सामान्य विद्यालयी शिक्षकों ने कभी भी विशेष शिक्षा में कोई प्रशिक्षण नहीं पाया है और न ही उनका अक्षमता वाले बच्चों को पढ़ाने का ही कोई अनुभव ही है। शोध दर्शाते हैं कि शिक्षकों में कौशलों का अभाव समावेशी शिक्षा परियोजना के सफ़ल क्रियान्वयन में बाधा पहुँचाता है (स्क्रग्रस मास्ट्रोपियरी 1996, स्वरूप 2001। बहुत से लेखकों ने इंगित किया है कि विद्यालयी व्यवस्थाएँ विशेष रूप से बदलाव का प्रतिरोध करती हैं; नये विचारों को शुरू करना और उनके क्रियान्वयन का प्रतिरोध होता है, यदि उनके पास ऐसे शिक्षक हैं, जिनके पास अपेक्षित बदलाव के क्रियान्वयन के लिए उचित ज्ञान और कौशल नहीं है।

पश्चिमी देशों के अनुभव दर्शाते हैं कि शैक्षिक सुधारों का क्रियान्वयन आसान नहीं रहा है। भिन्न श्रेणियों की ज़रूरतें नीचे दी गई हैं—

> मुख्य अवरोध यह है कि विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण मुख्यधारा शिक्षकों के प्रशिक्षण से अलग तरह से आयोजित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप विशेष आवश्यकता शिक्षा—शिक्षक और शिक्षकों के प्रशिक्षक स्वयं को दो भिन्न व्यवस्थाओं में कार्यरत पाते हैं, और इसलिए अपनी विशेषता साझा करने में कठिनाई महसूस करते हैं।

शोध ने इंगित किया है कि लघु-कालीन सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बजाए, शिक्षकों को उन सेवाकालीन कार्यक्रमों से लाभ पहुँचता है जो व्यवस्थायी कर्मचारियों के विकास की दीर्घकालीन परियोजना का हिस्सा होते हैं।

शिक्षक—शिक्षा

सेवाकालीन शिक्षक—शिक्षा

औपचारिक शिक्षा व्यवस्था, विशेष शिक्षा तथा एकीकृत शिक्षा के साथ-साथ समावेशी शिक्षा (IE) व्यवहारों को समायोजित करती है। समावेशी शिक्षा को बाधित करने वाले कौशल अवरोध हैं—

- समावेशी शिक्षा की अवधारणा को पूरी तरह न समझ पाना।

- शिक्षाशास्त्रीय ज्ञान और कौशलों के विकास की आवश्यकता।
- प्रशिक्षण के निरंतर अवसरों द्वारा अभिवृत्ति और मूल्यों का विकास।
- पुनर्विचार और बहस के और अवसरों को शामिल न करना।

आवश्यकता है कि मुख्य विचार बिंदु हों–

- अभिव्यक्ति में बदलाव और व्यवहार निमार्ण के लिए शिक्षकों के वर्तमान कौशलों और कार्य स्थितियों को स्वीकारना।
- समावेशी कक्षा कक्षों की व्यवहारिकताओं और वास्तविकताओं का ध्यान।
- विविधता द्वारा उठाये गये शिक्षाशात्रीय मुद्दे।
- शिक्षकों में ''अकेलेपन की बाधा'' को दूर करने में मदद।
- विद्यालय-आधारित दलों की स्थापना और शिक्षक साझेदारी पर ज़ोर।
- सामाजिक-सांस्कृतिक रीतियों और धारणाओं के प्रति संवेदनशीलता
- समावेशी शिक्षक अथवा समावेशी विद्यालय बनाने के लिए कोई नुस्खा (recipe) उपलब्ध नहीं है।
- सभी प्रकार के वे व्यवहार जो अंतत: ''अच्छे शिक्षण'' व्यवहार हैं, वे समावेशी शिक्षा की ओर ले जाते हैं।

सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा

विषयवस्तु और विधि–

- विशिष्ट ज्ञान देने के लिए आवश्यक विषय वस्तु का पर्याप्त न होना।

क्र. सं.	*शिक्षकों के लिए*	*आवश्यकताएँ*
1.	सामान्य शिक्षा शिक्षक	समावेशी प्रणालियों में प्रशिक्षण ताकि वर्तमान शिक्षा के अलगाववादी रूप को प्रतिस्थापित किया जा सके।
2.	विशेष शिक्षक	• सलाह-मशवरे के कौशलों के नये दायरे की ज़रूरत; मुख्यधारा पाठ्यचर्या का संप्रेषण (transaction), कक्षा कक्ष समावेशी व्यवहारों का प्रोत्साहन इत्यादि। • विद्यालय के बाहर विशेषज्ञों और अभिभावकों के साथ काम करना।
3.	शिक्षक प्रशिक्षक	समावेशी व्यवहारों के बारे में समझ और अधिक ज्ञानार्जन।
4.	प्रशासक	• शिक्षण अधिगम की नयी पद्धतियों के प्रयोग में शिक्षकों की सहायता और प्रोत्साहन करना। • अन्य शिक्षाविदों को शामिल करना।
5.	सहायक व्यवसायकर्ताओं (सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, मनोवैज्ञानिकों, उपचारकर्ताओं (Therapist) इत्यादि	• एक दूसरे की भूमिका और कौशलों की समझ के लिए संयुक्त प्रशिक्षण। • समावेशी शिक्षा (IE) के प्रति उचित अभिरुचि निर्माण। • सामान्य विद्यालयों में समावेशी वातावरण में विकसित हो रहे बच्चों के महत्त्व को समझना।

- प्रशिक्षण का संबंध विद्यालय/अधिगम केंद्र के विकास से होना चाहिए।
- विविधताओं की व्यवहारिक उपयोगिता और कक्षा कक्षों की वास्तविकताओं पर पूरा ध्यान (सिद्धांतों को व्यवहार से जोड़ना)।
- छात्र शिक्षकों को अनुभवी शिक्षकों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- छात्र शिक्षकों को पुनर्विचार (reflection) के अवसर देना।
- शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में अनुभवी विद्यालय शिक्षकों को सम्मिलित करना।
- संरचनात्मक बाधाओं पर पुनर्दृष्टि।
- हाशिये पर खड़े समूहों से छात्र–शिक्षकों को उचित दिशा की ओर प्रोत्साहित करना।

मैं इस डरा देने वाले निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि कक्षा कक्ष का निर्णायक तत्त्व मैं हूँ। यह मेरी ही व्यक्तिगत प्रणाली है जो वातावरण निर्माण करती है। यह मेरा ही दैनिक मन है जो मौसम बनाता है। एक शिक्षक के नाते, मेरे पास बच्चे के जीवन को खुशनुमा/आनंदपूर्ण अथवा दु:खद बना देने की असीम शक्ति है। मैं अत्याचार का औज़ार अथवा प्रेरणा का स्रोत हो सकती हूँ। मैं अपमानित कर सकती हूँ अथवा सम्मानित, मैं घाव दे सकती हूँ अथवा ठीक कर सकती हूँ। सभी परिस्थितियों में, यह मेरा ही प्रतियुत्तर होता है जो निर्धारित करता है कि किसी संकटपूर्ण स्थिति को बढ़ाया अथवा घटाया जाए और एक बच्चे का मानवीकरण अथवा अमानवीकरण किया जाए।

–*(अज्ञात शिक्षक)*

प्रशिक्षण प्रबंध

शिक्षकों के वर्तमान कौशल स्तरों और समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी, क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित कौशलों के बीच के अभाव को प्रशिक्षण द्वारा कम करना नितांत आवश्यक है। नियमित/सामान्य विद्यालय शिक्षक जो पहले से ही कार्य दल का हिस्सा है, उसे व्यवसायिक विकास के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। भारत में शिक्षकों की संख्या अधिक होने और आर्थिक साधनों की सीमित उपलब्धि के कारण प्रस्तावित है कि इन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रतिरूप (train the trainer model) के द्वारा आयोजित किया जाए। पहले स्तर पर, प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाए। जिसके बाद यह शिक्षक अपने विद्यालय के बाकी सभी शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा/करेगी। हालाँकि इस प्रतिमान का सफ़लतापूर्वक उपयोग भारत–आस्ट्रेलिया प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम में किया गया है, फिर भी कुछ विशेषज्ञ (विडेल 2005) सावधान करते हैं कि इस प्रतिमान का परिणाम शायद निरंतर एक सा न हो। विडेल (2005) तर्क देते हैं कि कक्षा कक्ष में अपेक्षित कम अथवा ज़्यादा शैक्षिक बदलाव के क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि शैक्षिक बदलाव आयोजक (नियोजक) यह सुनिश्चित करें कि जितना संभव हो उतना सहयोग शिक्षकों को पूरी तरह से अपने तत्कालिक एवं विस्तृत कार्यकारी वातावरण से मिले। यही कारण है कि आयोजकों को विद्यालय–आधारित ऐसे शिक्षक शिक्षा और व्यवसायिक विकास को प्रोत्साहित कार्यक्रमों की स्थापना पर अवश्य

ध्यान देना चाहिए जिसके द्वारा शिक्षकों को कार्यस्थल पर ही स्थानीय संदर्भ में प्रशिक्षित किया जा सके, ताकि उनमें लंबे समय तक की गुणवत्ता में सुधार की क्षमता आ सके। भारत के नीति-निर्माताओं के लिए यह एक विकल्प हो सकता है, विशेष रूप से अक्षमता वाले व्यक्तियों के, कानून के संशोधित प्रारूप की धारा 23 L (2) के संदर्भ में, जिसका संबंध शिक्षकों की योग्यताओं से है, जिसके प्रावधान हैं कि समस्त शिक्षकों को, अक्षमता वाले बालकों को समावेशी कक्षा—कक्ष में पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे पूरे भारत में समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों की योग्यता में अत्यधिक स्थायी रूप से सुधार संभव हो सकेगा।

> यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चे पढ़ सकते हैं (यदि अधिगम को पढ़ने-लिखने और गणित से व्यापक रूप में समझा जाए) और यह भी कि सभी बच्चों का समावेशी और बाल मित्र परिवेश में सुरक्षा, देखभाल और शिक्षा का अधिकार है।

बदलाव के एक मात्र साधन के रूप में हमें लघु प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण व्यवस्था विधि (Whole System Approach) को अपनाया जाना चाहिए और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना निरंतर चलने वाले वृहद कार्यक्रम के, भाग के रूप में बनाई जानी चाहिए और उनमें परिस्थिति के अनुसार बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। वास्तविक व्यवहार एवं अभ्यास के अवसर पैदा किए जाने चाहिए, और प्रशिक्षण के दौरान इन्हें वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग कर अनुभव साझा करना चाहिए। UNESCO के प्रभावी प्रशिक्षण सामग्री में शामिल हैं-

- Teacher Education Resource *Pack:* Special needs in the Classroom.
- *Embracing diversity:* The toolkit for creating inclusive learning friendly environments.
- Toolkit for promoting gender equality in education.
- *Open file on inclusive education:* Support material for managers and administrators.
- *Changing teaching practices:* Closing curriculum differentiation to respond to students diversity.
- EENET (Enabling Education Network), Global (www.eenet.org.uk), EENET Asia(www.idp_europe.org/eenet,asia@eenet.org.uk) and other regional networks.

समावेशन को समझना

चर्चा और पुनर्विचार के अवसरों के साथ-साथ, समावेशन 'कब', 'क्यों' और 'कैसे' की व्यापक समझ का विकास बेहद महत्वपूर्ण है और इसे व्यवसायिक विकास की सभी पहलकदमियों में ज़ोर शोर से शामिल किया जाना चाहिए।

अक्षमता वाले शिक्षणार्थियों के परे जाकर देख पाना और उसका महत्त्व समझने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारों के क्रियान्वयन को कभी भी केवल किसी एक समूह के बच्चों तक

सीमित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, उचित संदर्भ संगत योजना बनाने के लिए प्रचलित पौराणिक धारणाओं (Myths) को संबोधित करना व शाला से वंचित अथवा शाला छोड़ चुके बच्चों को करीब से देखना और इनके बाह्यीकरण के सामाजिक, आर्थिक, भाषायी अथवा किसी अन्य आधार के विश्लेषण की आवश्यकता है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ज्ञान और कौशलों के अलावा सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को भी शामिल किया जाना चाहिए और इसके साथ ही ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए कि समावेशन/बाह्यीकरण के बारे में स्व मूल्यों और विश्वासों/धारणाओं को करीब से देखा और उन पर विचार किया जा सके जैसे कि–

- शिक्षा–सभी का शिक्षा पर अधिकार है।
- अधिगम–सभी बच्चे पढ़ सकते हैं।
- अधिगम में सहायता–सभी को अपने अधिगम में सहायता की आवश्यकता है।
- भिन्नता/विविधता 'विविधता' का मान पहचानने की आवश्यकता है।
- बच्चे के अधिगम को बढ़ावा देने की ज़िम्मेदारी– विद्यालय, शिक्षक, परिवार और समाज सभी की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है।
- शिक्षक–सभी शिक्षकों को निरंतर प्रेरणापूर्ण सहायता की ज़रूरत है।

> समावेशन की सफ़लता के लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षाविदों को दिया जाए-प्रशिक्षण, सह–शिक्षकों के साथ योजना बनाने का समय और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु—पर्याप्त संसाधन।

विशेषज्ञता विकास

हालाँकि शोध ने दर्शाया है कि समावेशी पद्धतियों से सभी बच्चों को फ़ायदा होता है लेकिन शिक्षक अभी भी इस विशिष्ट पद्धति से पढ़ाने में स्वेच्छा से पहल करने में हिचकिचाते हैं। समावेशन की सफ़लता के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण, सह–शिक्षकों के साथ योजना बनाने का समय और बच्चों की आवश्यकता पूर्ति हेतु पर्याप्त संसाधन दिए जाएँ। समावेशन तभी सफ़ल हो सकता है जब शिक्षक पूरी तरह से तैयार हों। विशेषज्ञता–विकास के लिए बहुत से बिंदुओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये हैं–

- शिक्षक शिक्षा की ऐसी दीर्घकालिक संरचनाओं की स्थापना की आवश्यकता है जो समावेशी तरीके से काम करने में सक्षम शिक्षकों को लगातार तैयार कर सकें।
- प्रमुख बाधा यह है कि विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण मुख्यधारा शिक्षकों के प्रशिक्षण से अलग तरह से किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप विशेष आवश्यकता शिक्षा–शिक्षक और अध्यापक–प्रशिक्षक खुद को दो अलग व्यवस्थाओं में काम करने वालों के रूप में देखते हैं, और इसलिए उन्हें अपनी विशेषज्ञता साझा करने में कठिनाई होती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि कठिनाई वाले बालकों को विशेष आवश्यकता शिक्षा व्यवस्था में भेज देना ही सर्वोत्तम विकल्प है। इस परिस्थिति से उबरने के लिए, व्यवस्था में बहुस्तरीय प्रशिक्षण व्यवस्था की ज़रूरत है।
- सभी शिक्षकों में कक्षा कक्ष के समावेशी अधिगम—व्यवहारों की समझ होना

आवश्यक है, इसका व्यवसायिक विकास दोनों ही तरीकों से यानि शुरुआती सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेवाकालीन सतत् प्रशिक्षण प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए। इसका निहितार्थ है कि सभी सेवापूर्व शिक्षकों को समावेशी प्रणालियों की कुछ समझ होनी चाहिए। इसके द्वारा चर्चा होनी चाहिए कि विविधता को मुख्यधारा शिक्षा कार्यक्रमों में विशिष्ट ज्ञान के 'पैकेज' (जैसे कि श्रवण विकार, शारीरिक अक्षमता के प्रकार, अथवा बहुभाषायी और बहुसांस्कृतिक शिक्षण) को जोड़ देना मात्र काफी नहीं होगा। इसके बजाए सेवापूर्व शिक्षकों को शुरू से ही यह सोचने का मौका देना होगा कि साधारण कक्षा-कक्ष में शिक्षण और अधिगम के लिए छात्रों की विविधता के क्या निहितार्थ हैं।

- प्रशिक्षण प्रदान करने के तरीकों में भी बदलाव की ज़रूरत होगी ताकि प्रशिक्षण स्पष्ट रूप से कक्षा-कक्ष की वास्तविकताओं पर केंद्रित हो सके।
- हाशिये पर स्थित समुदायों, अल्पसंख्यक सांस्कृतिक समूहों, आर्थिक रूप से अलाभांवित समूहों और अक्षमता वाले व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये उपेक्षित वर्ग के शिक्षकों के लिए आदर्श शिक्षक (role model) की भूमिका निभा सकते हैं, और अपने निजी और सामाजिक ज्ञान से शिक्षा व्यवस्था को समृद्ध कर सकते हैं।
- बहुत से शिक्षकों, आदर्श रूप में हर विद्यालय से एक शिक्षक को, छात्रों को महसूस होने वाली सामान्य कठिनाइयों और अक्षमताओं को समझने के लिए कुछ हद तक विशेषज्ञता विकसित करनी होगी। आवश्यकता है कि इन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए जिससे कि वे न केवल अपने व्यवहारों में सुधार कर पायें बल्कि अपने समूहकर्मियों के लिए परामर्शदाता और सलाहकार की भूमिका भी अदा कर सकें।
- कुछ शिक्षकों को उच्च श्रेणी की विशेषज्ञता विकसित करनी होगी। इन शिक्षकों को पहले सामान्य मुख्यधारा शिक्षक के तौर पर अनुभव और कौशल विकसित करना होगा और उसके बाद विशिष्ट विशेषज्ञता। उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना होगा उनकी विविधता को देखते हुए यह बेहद महत्वपूर्ण है। इनकी विशेषज्ञता को सीमित रूप से परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए और इसका विकास प्रशिक्षण के शुरूआती चरण में व्यापक विशेषज्ञता के आधार पर होना चाहिए। चूँकि इन शिक्षाविदों को सामान्य विद्यालयों में या तो स्वयं काम करना होगा, या फिर उनके सान्निध्य में कार्य करना होगा, अतः यह महत्वपूर्ण है कि वह मुख्यधारा शिक्षकों के साथ साझेदारी में काम करने के लिए अपने कौशलों को केवल विकसित ही न करें बल्कि अपनी विशेषज्ञता को अधिकाधिक लोगों तक उपलब्ध भी करायें। इन्हें यह भी जानने की आवश्यकता है कि अन्य विशेषज्ञों, अभिभावकों और विद्यालय के बाहर की संस्थाओं के साथ कैसे काम करें। इन्हें अधिगम बाधाओं की विस्तृत श्रेणियों के बारे में कुछ जानकारी होने के साथ,

परामर्श कौशल, प्रशासन एवं प्रबंध कौशल में पारंगत होना भी आवश्यक है।

एकीकरण तब है जब बच्चा विद्यालय से मिलता है—समावेशन वहाँ है जहाँ विद्यालय बच्चे से मिलता है।

प्रशिक्षण पहल

सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा

कुछ प्रासंगिक प्रश्न–

- शिक्षकों में छात्र विविधता के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकास में, कैसे मदद की जा सकती है?
- छात्र शिक्षकों में समावेशी व्यवहारों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन-से तरीके प्रयोग में लाने चाहिए?
- इसके विकास में विद्यालय अभ्यासों (Practices) के कौन-से प्रकार प्रभावशाली रूप से सहायक होंगे?
- शिक्षक—शिक्षा के संदर्भों में समावेशन के सिद्धांतों को कैसे समाहित किया जाये?
- शिक्षक-प्रशिक्षकों और छात्र शिक्षकों को उनके स्व-विकास के लिए समावेशी परिस्थिति में शिक्षकों के साथ सीधे काम करने के कौन से अवसर प्रदान किये जायें?

सेवा कालीन शिक्षक शिक्षा

कुछ प्रासंगिक प्रश्न–

- सेवा कालीन शिक्षक शिक्षा का कौन-सा रूप समावेशी व्यवहारों के विकास की ओर ले जाता है?
- इन व्यवहारों के क्रियान्वयन में शिक्षकों की मदद के बारे में हम क्या जानते हैं?
- विद्यालयों में अधिकाधिक साझेदारी को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है?
- समावेशी शिक्षा के पोषण में विद्यालयी नेताओं की कैसे मदद की जा सकती है?
- किस प्रकार के विद्यालयी तंत्रों की स्थापना करनी होगी?

शिक्षा का अधिकार कानून की सफ़लता के लिए खंड स्तरीय संसाधन व्यक्तियों, समूह स्तरीय संसाधन व्यक्तियों और शिक्षकों का प्रशिक्षण अहम है। सामान्य समावेशी विद्यालयों में सभी बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए, नीचे सुझाये प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई जा सकती है और प्रशिक्षण सामग्री में व्यापक बदलाव किये जाने चाहिए—

- बड़ी संख्या में विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चे, जिनमें अक्षमता वाले बच्चे भी शामिल हैं, की शैक्षिक एवं अन्य आवश्यकताओं के आकलन और जल्द पहचान के लिए ज़रूरी है कि सर्वेक्षण करने वालों, शिक्षकों और अन्य संबंधित सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम उन सभी बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है, जो इस अधिनियम में वर्णित मानक और नियमों की पूर्ति करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा तक पहुँचने में सक्षम होने के लिए निशक्तता वाले बच्चों में कुछ विशिष्ट कौशलों के विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। निशक्तता वाले बालकों को विद्यालय की तैयारी करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खंड 4 के

अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण सुनिश्चित किया गया है। यह प्रशिक्षण इसी उद्देश्य से नियुक्त विशेष शिक्षकों अथवा सामान्य शिक्षकों के द्वारा आवासीय, गैर आवासीय अथवा बच्चों के घर पर ही दिया जा सकता है। इन प्रशिक्षकों को भी अपनी भूमिका के निर्वाहन के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

- प्रशासकों के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वे विद्यालय में समावेशी अभ्यासों को लागू कर सकें और शिक्षकों को शिक्षण-अधिगम के नये तरीकों को अपनाने और अन्य शिक्षाविदों के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें और उनकी मदद कर सकें।
- सहायक व्यवसायियों जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मचारियों मनोचिकित्सकों इत्यादि के साथ संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए ताकि वे एक दूसरे की भूमिकाओं और क्षमताओं को समझ सकें और उनमें उचित अभिवृत्ति का निर्माण हो सके तथा उनमें समावेशी कक्षाकक्ष के शैक्षिक गुणों की समझ का विकास हो सके।
- राजकीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) *समूह और खंड संसाधन केंद्रों के लिए ज़रूरी है कि वे समावेशी शैक्षणिक व्यवहारों के प्रोत्साहन के लिए स्थानीय मुद्दों को संबोधित करते हुए अपने खुद की* अथवा उचित बदलाव की प्रशिक्षण सामग्री पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाएँ।
- सर्व शिक्षा अभियान के प्रशिक्षण मॉड्यूल्स पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, विशेषकर शिक्षकों के लिए बीस दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में उचित विषयवस्तु और शिक्षणशास्त्रीय व्यवहारों के समावेशन के लिए।
- समावेशी स्थिति में छात्रों की मदद कैसे करें और इन परिस्थितियों में सभी बच्चों के अधिगम और विकास के महत्त्व को समझने के लिए शाला प्रबंधन समितियों (SMC), अभिभावकों और समुदाय के अन्य सदस्यों को संवेदनशील बनाने की ज़रूरत है।
- विकेंद्रीकृत संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए, समूह स्तर पर समावेशी शिक्षा संसाधन शिक्षकों के रूप में कार्यरत, प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों को सतत् प्रशिक्षण के माध्यम से समूह के अन्य सदस्यों को प्रशिक्षित करना चाहिए और जागरूकता फैलाने के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों को भी गतिशील बनाना चाहिए। ये स्वयं सेवक बदलाव के स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकते हैं।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE ACT) के अंतर्गत सोची गई राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् और राजकीय सलाहकार परिषद् में भी मार्गदर्शन, तकनीकी और शैक्षणिक सहायता देने के लिए निशक्तता वाले व्यवसायियों को शामिल करना अति आवश्यक है। इसी तरह से राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (NCPCR) के साथ-साथ सिक्किम बाल-अधिकार सुरक्षा आयोग (SCPCR) में भी अक्षमता वाले व्यवसायियों को शामिल करना चाहिए ताकि

समावेशी परिस्थितियों में पहचाने गए छात्रों के मुद्दों की देखभाल की जा सके। इन व्यवसायियों की कार्य संदर्भित ज़रूरतों को प्रशिक्षण पहलों के द्वारा सेवाकाल में ही समझकर संबोधित किया जाना आवश्यक है।

अन्य संस्थाओं की भूमिका

भारतीय पुनर्वास परिषद् (Rehabilitation Council of India) विशेष कार्यक्रम चलाती है जो विशिष्ट अक्षमताओं पर केंद्रित है, लेकिन यह विशेष शिक्षक को सामान्य शैक्षिक पाठ्यचर्या और शिक्षाशास्त्र में सक्षम नहीं बनाती। समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, आवश्यक कार्य दल को समावेशी व्यवहारों के लिए तैयार करने की योजना बनाने की ज़रूरत है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा प्रस्तावित अध्यापक शिक्षा की रूपरेखा के आधार पर सेवापूर्व प्रशिक्षण, समावेशी दृष्टिकोण को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। NCTE द्वारा बनाये गये कार्यकारी समूहों में भी समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन का अनुभव रखने वाले सदस्यों को शामिल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह सुझाव भी है कि NCTE क्रियान्वयन रूपरेखा को समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से पुनः देखा जाये और कार्यकारी समूहों को स्नातकोत्तर स्तर पर समावेशी कार्यक्रम विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

शैक्षणिक कार्यक्रमों में आमूल बदलाव

देश के सभी सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों जिसमें B.Ed भी शामिल है, का पुनः निर्माण करना ज़रूरी है ताकि सभी शिक्षक कक्षा–कक्ष में विविधताओं को संबोधित कर पायें। सेवाकालीन सामान्य शिक्षकों के लिए निशक्तता वाले बच्चों के साथ काम करने का प्रशिक्षण देने के लिए NCTE को विशिष्ट क्रेडियर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना चाहिए ताकि समय के साथ सामान्य शिक्षक भी विशेषज्ञता प्राप्त दक्ष शिक्षक बन सकें। इसके साथ, विशेष शिक्षकों को भी भिन्न माध्यमों जिसमें दूरस्थ शिक्षा शामिल है, से सामान्य शिक्षा प्रशिक्षण (B.Ed) प्राप्त कर लेनी चाहिए ताकि वह भी मुख्यधारा से जुड़े विद्यालयों में काम करने में सक्षम हो सकें।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय समावेशी शिक्षा पर सामान्य विद्यालय शिक्षकों के लिए और विशेष शिक्षकों के लिए सामान्य शिक्षा के आपसी मेलजोल से किए जाने वाले मॉड्यूल बना सकते हैं।

> जब समावेशी शिक्षा को पूरी तरह से अपना लिया जाता है तब हम इस विचार को छोड़ देते हैं कि संसार में योगदान देने के लिए बच्चों को 'सामान्य' बनना होगा। हम समुदाय का माननीय सदस्य बनने के पारंपरिक तरीकों से परे देखना शुरू कर देते हैं और ऐसा करते हुए सभी बच्चों को लगाव/जुड़ाव की वास्तविक भावना प्रदान करने के ऐसे उद्देश्य को पहचानना शुरू कर देते हैं जिसे पूरा करना संभव है। *–(नॉरमन कुन)*

अध्यापक-प्रशिक्षकों की बदलती भूमिका

अध्यापक-शिक्षकों में समावेशी व्यवहारों की समझ और मुख्यधारा शिक्षा के वृहद् ज्ञान, विशेषकर समावेशी कक्षा कक्ष के लिए उचित प्रकार के व्यवहारों के विकास में मददगार अवसरों की योजना बनाने की ज़रूरत है। उन्हें समावेशी कक्षा कक्ष की वास्तविकताओं और व्यवहारिकताओं पर केंद्रित होने की ज़रूरत है, बजाए इसके कि शिक्षकों (दोनों ही सेवाकालीन और सेवा पूर्व) से अपेक्षा की जाए कि वह सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक बनायें।

खास समूह के छात्रों की मनोवैज्ञानिक अथवा चिकित्सकीय विशेषताओं पर चर्चा करने के बजाए छात्र विविधता से उठी शिक्षणशास्त्रीय कठिनाइयों पर पुनर्विचार और वाद-विवाद के अवसरों को खोजने और चर्चा के लिए शिक्षक-प्रशिक्षकों में कुशलता विकसित की जानी चाहिए।

विशेष शिक्षा शिक्षकों की बदलती भूमिका

समावेशी व्यवहारों को प्रोत्साहित करने की ओर बढ़ते वर्तमान परिदृश्य में विशेष शिक्षकों से उम्मीद है कि वह ज़्यादा समय सामान्य विद्यालयों में काम करते हुए बितायेंगे और इन विद्यालयों में शिक्षकों की सहायता करेंगे। इसका निहितार्थ है कि उन्हें समावेशी कक्षा–कक्ष व्यवहारों, मुख्यधारा पाठ्यचर्या, परामर्श इत्यादि में नवीन कौशलों का विकास करना होगा।

इन्हीं मुद्दों के आस-पास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संरचना करनी होगी ताकि विशेष शिक्षा विशेषज्ञ और सामान्य शिक्षक एक साथ अपनी बदलती भूमिका पर विचार कर सकें। यदि शिक्षकों को समावेशी प्रणालियों में प्रशिक्षित करना है तो उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी उसी प्रकार से आयोजित करना होगा। विशेष शिक्षा और विशेष आवश्यकता शिक्षा कार्यक्रमों के बीच की दुर्गम दूरी को एकीकृत कार्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों के बीच अधिक लचीले माध्यमों के द्वारा बदलने की ज़रूरत है।

घर में विद्यालय

सरकार के प्रमुख कार्यक्रम 'सर्व शिक्षा अभियान' की बालकों की शून्य अस्वीकृति नीति के क्रियान्वयन के लिए बहुविकल्प प्रणाली को अपनाते हुए घर में विद्यालय की शुरूआत की गई। इसी पर आधारित एक सुधार, अभी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किया गया है, जिसमें बहु और अति अक्षमता वाले बालकों को सामान्य व्यवस्था के लिए तैयार करने के विकल्प के रूप में घर आधारित शिक्षा पर विचार किया गया है।

इस सुधार की माँग है कि शिक्षक और अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों को सभी छात्रों, जिसमें घर में विद्यालय का विकल्प चुनने वाले भी शामिल हैं, को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। इससे संबंधित कुछ मुद्दे जिन पर प्रासंगिक चर्चा की आवश्यकता है-

- घर आधारित शिक्षा कार्यक्रम देने के लिए बच्चों की पहचान और उन्हें अति अक्षमता का प्रमाणपत्र कौन देगा?
- इन बच्चों के घर कौन जाएगा और इसकी आवृत्ति क्या होगी?
- किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनाई जाएगी और शिक्षण-शास्त्रीय सिद्धांतों का मानक क्या होगा?

- दो वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने में जुटे अभिभावकों को घर—आधारित विद्यालय के छात्रों की अधिगम सहायता के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कौन देगा?
- हमारे देश के हर कोने में एकसार रूप में बच्चे को निजी सहायता, परिवार को सामाजिक सुरक्षा, घर में पुनर्वास सेवाएँ इत्यादि आवश्यक सहायक सेवाएँ देने की ज़िम्मेदारी किसकी होगी?
- घर में विद्यालय में छात्रों के संभावित शारीरिक दंड अथवा दुर्व्यवहार का निरीक्षण कौन करेगा?
- घर में, विद्यालय में दाखिल बच्चों को वर्तमान सुविधाएँ जैसे कि दोपहर का खाना, मुफ़्त वर्दी, पाठ्यपुस्तकें इत्यादि कैसे प्राप्त होंगी?
- घर में विद्यालय कार्यक्रम के गलत प्रयोग की निगरानी कैसे होगी?
- बच्चों को सामान्य विद्यालय में वापिस लाने की ज़िम्मेदारी किसकी होगी?

निष्कर्ष

यह सर्वमान्य मत है कि शिक्षक शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्याप्त संख्या में भली भाँति प्रशिक्षित शिक्षक सभी के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा की चाबी हैं। शिक्षकों और शिक्षाविदों के व्यवसायिक विकास में दृष्टिकोण बदलाव और अन्य आवश्यक कौशलों को समाहित किया जाना चाहिए ताकि एक समावेशी समाज का नेतृत्व हो सके। शिक्षण शोध ने दर्शाया है कि अच्छा शिक्षण व्यक्तिगत भिन्नताओं की परवाह किये बगैर सभी बच्चों के लिए प्रभावी होता है। सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का बेहद महत्वपूर्ण तरीका है शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बदलाव और शिक्षकों की सतत् व्यवसायिक सहायता।

समावेशी शिक्षा है ''संसार के सभी बच्चों और युवा लोगों का अपनी वैयक्तिक शक्तियों और कमज़ोरियों के साथ, अपनी उम्मीदों और आशाओं के साथ, शिक्षा पर अधिकार। यह वह शिक्षा व्यवस्था नहीं है जिस पर कुछ विशेष प्रकार के बच्चों का अधिकार हो। इसीलिए, यह देश की एक ऐसी विद्यालयी व्यवस्था है जिसे सभी बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित किया जा सके।''

—बी. लीन्डक्विस्ट, यू एन रैपरटियर ऑन यू एन स्टैन्डर्ड रूल्स